न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. शंकरलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. उंकारलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. गणेशलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. इन्द्रलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. भेरूलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. गंगाराम पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. हीरालाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती कंकू पुत्री स्व. पेमा कुम्हार पत्नी नारायण, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा
9. श्रीमती नोजी पुत्री स्व. पेमा कुम्हार पत्नी रतन, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 25/2012 दिनांक 17.07.2019

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अजय सनाढ्य अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 23–01–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट के पिता पेमा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 36 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1976 में जरिये पत्रावली संख्या 8/76 आवंटन सन् 1976 से मौजा कानपुर की भूमि नसबन्दी योजना के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14–10–76 को वादी द्वारा पेश किया गया, जिसे तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 17–09–1977 को वादी के पक्ष में साबिक आराजी नंबर 2531 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 29–04–1977 से भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी, जिसका अमल दरामद खेवट में 615 पर किया गया था, जिसका प्रमाणीकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार द्वारा भी किया गया। तब से वादी उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 5096 रकबा 1.6000 बने। इसके बाद आराजी नंबर 5096 के नये नंबर 13968/5096 रकबा 0.8650 हैक्टर बने तथा 5096 मीन रकबा 0.7350 हैक्टर बने, जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु भू–प्रबन्ध के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पालना नहीं की गयी है तथा भूमि पुनः बिलानाम दर्ज कर दी गयी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 5096 मीन रकबा 0.7350 हैक्टर, जिस पर वादी का कब्जा है, का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसाार इन्द्राज दुरस्ती की जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 17–07–2019 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–10–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे वह समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। दिनांक 23–09–2019 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। वकील अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा तनकियों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने फौरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जबकि विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद में किये गये कथनों का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1983 लाधी बनाम भूराराम, आर.आर.डी. 1985 पेज 33, आर.आर.डी. 1998 पेज 261, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 451, आर.एल.डब्ल्यू. 2001 (1) पेज 600, सिविल टाईम्स (राज.) 2001 पेज 60, आर.बी.जे. 1996 (3) पेज 8, आर.बी.जे. 2004 (11) पेज 66, आर.बी.जे. 2006 (13) पेज 205, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 340, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 285, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 244 आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1080 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। वादी को विवादित भूमि आवंटित होकर उसे गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होता है। अपीलार्थी ने न तो तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गयी हो। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

शंकरलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**47 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**07**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**01**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजय सनाढ्य**..... मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट		रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा . 4. वकील फीस बाबत ...				1. स्टाम्प वकालत नामा 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान				मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested